लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – आलोक रंजन (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 050/2024(सू.अ.) (GCMS 2024/142)	दायर दिनांक 26-07-2024	निर्णय दिनांक 21-08-2024

अनवान

संजय कुमार पिता मिश्रीलाल जैन निवासी गोढी भवन वार्ड नंबर 8 रावतभाटा तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ (मोबाईल 9501970354)

अपीलार्थी

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़।

प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 23.05.2024 को प्रस्तुत किया, उक्त आवेदन के संबंध में अधिनियम द्वारा निर्धारित समायावधि 30 दिवस की अवधि में सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ से अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह हस्तगत प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील अपीलार्थी को दर्ज रजिस्टर किया जाकर न्यायालय के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./050/2024(सू.अ.)(26.07.2024)417 दिनांक 26.07.2024 से अपील मेमो एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ को प्रेषित करते हुये आगामी पेशी दिनांक से पूर्व अपील मेमो एवं आवेदन के संबंध में बिन्दुवार कमेंट्स/टिप्पणी हेतु लिखा गया एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड सूचना–पत्र से नियत दिनांक को अपील के संबंध में अपना पक्ष रखने एवं सुनवाई हेतु सूचित किया गया।

दिनांक 21.08.2024 अपील अपीलार्थी अनुपस्थित रहे। सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ से किसी भी प्रकार से बिन्दुवार टिप्पणी/कमेंट्स प्राप्त नहीं।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आवेदन तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का चिंतन–मनन किया। हमने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से मार्गदर्शन प्राप्त किया। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र क्रमांक : प.3(22)प्रसु/सू.अ.प्र./06 दिनांक 02.02.2009 के बिन्दु संख्या 3 द्वारा प्रचारित किया गया है कि नागरिकों को किसी लोक प्राधिकारी से ऐसी सूचना मांगने का अधिकार हैं, जो उस लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध है या उसके नियंत्रण में है। इस अधिनियम में लोक प्राधिकारी के पास या नियंत्रण में उपलब्ध कृति, दस्तावेजों तथा रिकार्ड का निरीक्षण, नोट, उद्धरण या प्रमाणित प्रतियॉ प्राप्त करना, सामग्री के प्रमाणित नमूने शामिल हैं, परन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना का सृजन करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठायी गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं हैं। अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती हैं जो लोक प्राधिकारी के पास पहले से मौजदू हैं।

इसके साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात से अपीलार्थी द्वारा इस तथ्य बखूबी प्रमाणित कराया गया हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थी/अपीलार्थी लोक सूचना अधिकारी को नियमानुसार आवेदन पत्र जरिये कोरियर सेवा **466080568** दिनांक 23.05.2024 को मय आवेदन शुल्क **63F 757799** के लोक सूचना अधिकारी को प्रेषित किया गया हैं, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा इस सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी को नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत किया जाना प्रमाणित कराया गया हैं। सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ से किसी भी प्रकार से कोई लिखित अभिवचन/टिप्पणी/कमेंट्स प्राप्त नहीं हैं जिससे अपीलार्थी के अपील आवेदन का खण्डन पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। इससे न्यायालय के समक्ष यह तथ्य निर्विवाद रूप से प्रमाणित पाया जाता हैं कि सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 23.05.2024 का नियमानुसार निर्धारित समायावधि में निस्तारित नहीं किया गया हैं। अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत हस्तगत प्रथम अपील के तहत सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा द्वारा अपीलार्थी के सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 23.05.2024 को अधिनियम 2005 में प्रावधानों के तहत निस्तारण विहित समयावधि में नहीं किया जाना प्रमाणित पाया गया हैं, इसके साथ ही अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील आवेदन पत्र जो कि प्रस्तुत किये जाने की विहित समयावधि में प्रस्तुत किया गया है जिसमें अपीलार्थी द्वारा अपने अपील आवेदन में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन–पत्र दिनांक 23.05.2024 में वर्णित बिन्दुओं से वांछित सूचना आज दिनांक तक प्राप्त नहीं होना अवगत कराया गया हैं। इसके साथ ही अधीनसस्थ सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा एवं अपीलार्थी द्वारा अपने अपील आवेदन के साथ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रस्तुत दस्तावेजात से यह तथ्य प्रमाणित पाया जाता है कि अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत प्राप्त आवेदन हेतु निर्धारित समायावधि में अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार से कोई लिखित अभिवचन/टिप्पणी/कमेंट्स प्राप्त नहीं है जिससे अपीलार्थी के अपील आवेदन का खण्डन पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, जिससे अपील अपीलार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हस्तगत प्रथम अपील अपीलार्थी/आवेदक के आवेदन दिनांक 23.05.2024 जो कि अपीलार्थी द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ को प्रेषित किया गया है, बाबत् स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार की जाती है एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को आवेदन पत्र दिनांक 23.05.2024 से वांछित सूचना 10 दिवस अपीलार्थी को निःशुल्क जरिये रजिस्टर्ड डाक से उपलब्ध करावें एवं पालना प्रतिवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत करावें।

निर्णय की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक निःशुल्क भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **21.08.2024** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(आलोक रंजन)(I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
(राजस्व) (जिला कलक्टर),
चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official